

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

आदेश

क्रमांक C/1739/

II-14-23/16

जबलपुर, दिनांक 07/04/2018

श्री रोशन चौहान, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को ईराक में Ziyarat of Dargah of Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani (RAH) (Baghadad) में जाने हेतु दिनांक 09.04.2018 से 02.05.2018 तक 24 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अनापत्ति सहित मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-
(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल


जबलपुर, दिनांक 07/04/2018

पृष्ठांकन क्रमांक C/1740/

II-14-23/16

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
4. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
5. सहायक अवकाश/सेवापुरस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर.
6. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर.
7. श्री रोशन चौहान, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।


714118
(सुशांत हुददार)
रजिस्ट्रार (न्या.-दो)
